जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
(वित्त एवं लेखा अनुभाग)
(केन्द्रीय भण्डार)

दिनांकः 02.06.2016

<u>संशोधित निविदा सूचना</u>

इस विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में उपलब्ध रद्दी हेतु जारी निविदा सूचना संख्या 10/2016–17 दिनांक 04.05.2016 से निविदा प्राप्त व खोलने की तिथि 02.06.2016 रखी गयी थी जो अपरिहार्य कारणों से अब उक्त निविदा दिनांक 09.06.2016 को अपरान्ह् 2.00 बजे तक प्राप्त की जाकर उसी दिन अपरान्ह् 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं एवं उनके प्रतिनिधियों के समक्ष निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में इस हेतू गठित निविदा समिति के द्वारा खोली जायेगी। विस्तृत सूचना वेबसाईट www.jnvu.edu.in & www.jnvnonline.co व Rajasthan State Public Procurement Portal की वेबसाईट https://sppp.rajasthan.gov.in ,पर भी उपलब्ध है।

वित्त–नियत्रंक

मूल्यः—रू.500 / — क्रम संख्या...................

सहायक कुलसचिव
(वित्त एवं लेखा)

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
(वित्त एवं लेखा)

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथिः— 09.06.2016 समय 02:00 बजे अपरान्ह्
निविदा खोलने की तिथि :— 09.06.2016 समय 03:00 बजे अपरान्ह्

निविदा प्रारूप

विज्ञापन संख्या **10 / 2016—17 दिनांक 04.05.2016** को प्रकाशित रद्दी को बैचने हेतु निविदा

1. फर्म का पूरा नाम एवं पता, फोन मोबाईल नम्बर ....
....
2. अमानत राशि(Earnest Money) रू.40,000 / — ड्राफ्ट संख्या ....दिनांक....................
बैंक का नाम ....(संलग्न)
3. विभिन्न प्रकार की रद्दी की हमारी दरें निम्नानुसार होगीः—

क्रमांक	**रद्दी का प्रकार**	**दर प्रति किलो ग्राम**
1.	पुराने समाचार पत्र	
2.	पुरानी पुस्तके	
3.	उत्तर—पुस्तिका से अलग किये गये खाली कागज	
4.	उत्तर पुस्तिका में प्रयोग लिये गये कागज (चार टुकड़े फर्म द्वारा किये जाना हैं)	
5.	विभिन्न प्रकार के मुद्रित कागज	
6.	प्रश्न—पत्र (चार टुकड़े फर्म द्वारा किए जाना है।)	
7.	प्रयोग में लिया गया बारदाना (उत्तर पुस्तिकाओं के पार्सल से हटाये गये)	
8.	अन्य पैकिंग मेटेरियल	
9.	पुरानी सूचना—पुस्तिका	
10.	पुराने सिलेबस	
11.	अनुपयोगी एवं पुराने आवेदन—पत्र इत्यादि (चार टुकड़े फर्म द्वारा किए जाना है।)	
12.	पुराने / अनुपयोगी / प्रयोग में लिए हुए प्रवेश एवं परीक्षा आवेदन—पत्र इत्यादि (चार टुकड़े फर्म द्वारा किए जाना है।)	
13.	अन्य प्रकार की रद्दी जैसे पत्र—पत्रिकायें इत्यादि।	

4. समस्त संलग्न शर्तो का पालन करने के लिए सहमति प्रदान करते है।
5. उपरोक्त दरे अनुमोदित तिथि से एक वर्ष तक मान्य होंगी। इसके आगे के लिए एक वर्ष की अवधि पारस्परिक सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।

दिनांकः—

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय रबड़ मोहर

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
(केन्द्रीय भण्डार एवं लेखा)

निविदा की शर्ते

1. निविदा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के पास मुहरबंद लिफाफे मे जिसके ऊपर रद्दी को बेचने हेतु निविदा लिखा हो, भेजी जानी चाहिए।
2. दरें स्पष्ट एवं बिना कांट–छांट के होनी चाहिए। कांट–छांट होने पर निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
3. अमानत राशि (Earnest Money) रू.40,000/– के अभाव में निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा। पूर्व में किसी भी अन्य निविदा के लिये जमा कराई गई धरोहर राशि का समायोजन इस निविदा के लिये नहीं किया जायेगा। अमानत राशि का बैंकर चैक/डी.डी. कुलसचिव, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के नाम से साथ लगाना अनिवार्य है। इसके अभाव में निविदा निरस्त समझी जावेगी।
4. रद्दी उठाने की सूचना मिलने पर रद्दी को 02 दिवस के अन्दर विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यालयों/विभागों से उठाना पड़ेगा सिवाय गोपनीय शाखा के क्योंकि गोपनीय शाखा की रद्दी को चार टुकड़ों में कटींग करना आवश्यक है (कटिंग करने में समय लगने की संभावना है।)
5. विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रद्दी को नहीं उठाने की स्थिति में कार्यालय के सक्षम अधिकारी विवेकानुसार रद्दी को उठाने की अवधि निम्न तयशुदा नुकसानी (जो शास्ती में नहीं है) के साथ बढ़ा सकेगा।

क्र.सं.	कालावधि	वसूलीय नुकसानी	प्रतिशत
क.	निर्धारित अवधि का 1/4 कालावधि के लिये	उठाई जाने वाली रद्दी के मूल्य का	2.5 प्रतिशत
ख.	निर्धारित अवधि का 1/4 कालावधि से अधिक परन्तु 1/2 कालावधि से अधिक नहीं	उपरोक्त	5 प्रतिशत
ग.	निर्धारित अवधि का 1/2 कालावधि से अधिक परन्तु 3/4 कालावधि से अधिक नहीं	उपरोक्त	7.5 प्रतिशत
घ.	निर्धारित अवधि का 3/4 कालावधि से अधिक परन्तु बराबर की कालावधि से अधिक नही। समयावधि बढ़ाने के लिये निविदाकार को लिखित में आवेदन करना होगा।	उपरोक्त	10 प्रतिशत

6. मद संख्या 4, 6, 11 एवं 12 की रद्दी को निविदादाता द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में कटिंग करना होगा।
7. रद्दी उठाने से पूर्व, रद्दी का मूल्य तथा बिक्री कर, वैट, राज्य कर की चालान की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। जो अग्रिम रूप से विश्वविद्यालय में जमा कराना होगा।
8. विर्निदिष्ट अवधि में रद्दी न उठाने की दशा में विश्वविद्यालय को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह निविदादाता को सूचना दिये बिना रद्दी को बेचने की व्यवस्था अन्य किसी को करें, तथा इससे होने वाली नुकसानी की वसूली निविदादाता से होगी।
9. शर्तों या विस्तृत विवरण के सम्बन्ध में कोई सन्देह हो तो निविदादाता को निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व कार्यालय से पूछताछ कर स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिए।
10. किसी निविदा या उसके किसी भाग को बिना कारण अस्वीकार करने का अधिकार पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

11. किसी भी विवाद की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति का निर्णय निविदादाता के लिए बाध्यकारी होगा।

12. रद्दी को तुलाने की व्यवस्था निविदादाता की ही होगी एवं खाली व भरी गाडी किसी भी धर्मकांटे पर तुलवायी जा सकती है। परिवहन व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।

13. निविदादाता रद्दी को उठाने, तुलवाने का कार्य संकायों/विभागों/कार्यालयों के तय समय में ही करना होगा, निविदादाता किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को रद्दी उठवाने एवं तुलवाने के संबंध में कार्यालय समय के पश्चात् रूकने के लिए बाध्य नही करेगा। ये समस्त कार्य वित्त–नियत्रंक/सहायक कुलसचिव (लेखा) के प्रतिनिधि के समक्ष होगा।

14. उत्तर–पुस्तिकायें एवं अन्य रद्दी जो चार टुकड़ों में की जानी है व इसकी मशीन सफल निविदादाता को (पेपर कटिंग मशीन) अपने स्तर पर लगानी होगी एवं इससे सम्बन्धित बिजली बिल के भुगतान की अनुमानित राशि 10000/– रूपये विश्वविद्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा।

15. निविदा स्वीकृति के पश्चात् कुल निविदा मे उल्लेखित अनुमानित राशि (20 लाख) पर धरोहर राशि (Secuirty Mony) के रूप में 5 प्रतिशत जमा करवानी होगी। जिसमें पूर्व में जमा 2 प्रतिशत प्रतिभूति राशि का समायोजन किया जायेगा।

16. निविदादाता द्वारा 1000/– रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार बन्द पत्र निस्पादन करना होगा, जिसका खर्चा निविदादाता फर्म द्वारा ही वहन किया जायेगा।

17. मद संख्या 4, 6, 11 एवं 12 के रददी को चार टुकड़े करने के पश्चात् ही उठाने दिया जायेगा, किसी भी हालत में चार टुकड़े किये बिना रददी उठाने नहीं दिया जायेगा एवं बयाना राशि एवं Security Money जब्त कर जी जायेगी। चार टुकड़े करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी।

18. निविदा प्रपत्र मुल्य राशि 500/– रूपये होगा।

19. विश्वविद्यालय के समस्त संकायो/विभागों से सभी प्रकार की रददी उठानी अनिवार्य हैं किसी भी संकाय/विभाग से तय समय सीमा के भीतर रद्दी नही उठाने का पत्र/शिकायत प्राप्त होती है तो धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

20. विश्वविद्यालय में स्थित समस्त सहायक कुलसचिवों से समस्त रददी उठाने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा, उसके पश्चात् ही धरोहर राशि लौटाई जायेगी।

21. किसी रद्दी/सामग्री का दुरूपयोग नहीं किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार के वाद–विवाद की जिम्मेवारी स्वीकृत निविदादाता की होगी।

22. निविदादाता की कोई शर्त मान्य नहीं होगी।

23. सभी प्रसंगो का न्याय क्षेत्र जोधपुर शहर रहेगा।

24. वेट कर पंजीयन एवं शोधन (चुकता) प्रमाण–पत्र (Clearance-Certificate) कोई भी डीलर जहा उसका व्यवसाय स्थित हैं, वहा के कर अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा। यदि राज्य में प्रचलित वेट कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं हैं तो, वह निविदा नहीं देगा। वेट कर पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा सम्बन्धित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकरी से वेट कर (Sales Tax) चुकता प्रमाण–पत्र (Vat Clearance-Certificate) प्रस्तुत किया जायेगा तथा इसके बिना निविदा को रद्ध कर दिया जायेगा।

25. निविदादाता द्वारा एस.आर. प्ररूप 11 में एक घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

26. उपरोक्त शर्तों को पढ़ लिया गया है इनका पालन करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय रबड़ मोहर

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

(वित्त एवं लेखा अनुभाग)

एस. आर. –11

निविदादाता द्वारा प्रेषित घोषणा–पत्र

मैं/हम/घोषणा करता हुँ/करते है कि मैंने/हमने जिन रद्दी के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम इस प्रकार की रद्दी का थोक कार्य करता हूं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपह्त कर लिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय रबड़ मोहर

निविदा सूचना संख्या ____________________ के लिए घोषणा

मैं .... घोषणा करता हूं कि मैंने निविदा प्रपत्र की समस्त नियम एवं शर्तों की जानकारी प्राप्त कर ली है एवं मेरी फर्म पर बाध्यकारी है। मेरे द्वारा उपलब्ध करवायी गई या दी गई जानकारी पूर्ण रूप से सत्य है।

यह घोषणा असत्य पाये जाने पर निविदा को रद्द करने का अधिकारी विश्वविद्यालय को होगा तथा धरोहर राशि एवं जमानत राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय रबड़ मोहर